अधिसूचना सं0 14/2014- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.   (अ)   -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सं0 सा.का.नि. 570(अ) तारीख 8 सितंबर, 2005 जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, जो द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) आरंभिक पैरा में "ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रोजेक्ट के लिए" शब्दों के स्थान पर "विद्युत उत्पादन या संपीड़ित जैविक-गैस (जैविक-सीएनजी) के उत्पादन के लिए किसी परियोजना के प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) शर्त (i) में, "ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रोजेक्ट की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, विद्युत उत्पादन या संपीड़ित जैविक गैस (जैविक सीएनजी) के उत्पादन के लिए परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ग) शर्त (ii) में, "विनिर्माणकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त प्रमाणित करता है" शब्दों के स्थान पर "विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं की दशा में विनिर्माणकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 570(अ), तारीख 8 सितंबर 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 34/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 नवंबर, 2010 द्वारा सा.का.नि. 916(अ) तारीख 18 नवंबर, 2010 द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया ।